भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3668

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए आंवटित निधि

3668. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश और विशेष रूप से तेलंगाना में 2020 से केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई;

(ख) तेलंगाना में ऐसे लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक वित्तीय सहायता या कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है;

(ग) क्या सरकार ने कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं की समीक्षा की है; और

(घ) लंबित निधियों और लाभों के वितरण में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) कार्यान्वित कर रहा है, निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

वर्ष 2020 से चिन्हित हाथ से मैला उठाने वालों को एकमुश्त नकद सहायता, वैकल्पिक स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी और हाथ से मैला उठाने वालों तथा उनके आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत वजीफा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई धनराशि **अनुबंध-I** में दी गई है।

वर्ष 2013 और वर्ष 2018 में हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान के लिए किए गए दो सर्वेक्षणों के अनुसार, तेलंगाना में किसी भी हाथ से मैला उठाने वाले की पहचान नहीं की गई है।

(ग): हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) के कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष 2017-18 और 2019-2020 में किए गए दो मूल्यांकन अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(घ): वर्तमान में, एसआरएमएस के तहत देश भर में कोई दावा लंबित नहीं है।

अनुबंध-I

"हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए आंवटित निधि" के संबंध में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3668 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए उपयोग की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां

(रू. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	प्रति लाभार्थी 40,000/- रु. की दर से प्रदान किया गया ओटीसीए	प्रशिक्षण पर व्यय + वजीफा	सामान्य परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी
1	आंध्र प्रदेश	132.00	17.29	0.00
2	असम	1220.40	44.43	0.00
3	बिहार	0.00	0.94	0.00
4	झारखंड	27.20	0.15	0.00
5	कर्नाटक	418.40	112.39	1173.70
6	केरल	0.00	2.48	0.00
7	मध्य प्रदेश	67.60	7.94	0.00
8	महाराष्ट्र	287.20	106.96	43.73
9	ओडिशा	4.40	0.00	0.00
10	पंजाब	3.60	0.00	7.68
11	राजस्थान	92.80	180.54	0.00
12	तमिलनाडु	5.60	0.00	4.37
13	उत्तर प्रदेश	2506.80	1265.16	355.38
14	उत्तराखंड	1110.00	147.40	0.00
15	पश्चिम बंगाल	0.80	21.83	697.68
कुल		**5876.80**	**1907.51**	**2282.54**

अनुबंध-II

"हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए आंवटित निधि" के संबंध में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3668 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2017-18 में हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) पर मूल्यांकन अध्ययन

निष्कर्ष:

- फील्ड से एकत्र की गई जानकारी को विश्लेषण और प्रतिनिधित्व के लिए समेकित, संकलित और सारणीबद्ध किया गया था। कुल 3813 लाभार्थियों का साक्षात्कार लिया गया और सभी 13 राज्यों में प्रतिक्रियाएं दर्ज की गई थी।

- अधिकांश उत्तरदाता (45 प्रतिशत) 31-45 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और 25 प्रतिशत 46-60 आयु वर्ग के हैं। लिंग-वार वर्गीकरण से पता चलता है कि कुल लाभार्थियों में से 56.5% लाभार्थी महिलाएं, 47 प्रतिशत निरक्षर और 21 प्रतिशत साक्षर हैं।

- उनके क्षेत्रों में 42.3% उत्तरदाता सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसके बाद 21.6% मजदूरी श्रमिक हैं। 22.2 प्रतिशत ने बताया है कि वे कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रतिशत में गृहणियां, बुजुर्ग आदि शामिल हैं।

- उत्तरदाताओं ने 40,000/- रुपये की एकमुश्त नकद सहायता (ओटीसीए) प्राप्त करने के बाद अपना व्यवसाय बदल दिया है। नगरपालिका में 1.8 प्रतिशत उत्तरदाता स्थायी सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। चिन्हित हाथ से मैला उठाने वालों को दी गई वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रशिक्षण ने उनके व्यवसाय की स्थिति को उन्नत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- हाथ से मैला उठाने की प्रथा छोड़ने और वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने के बाद हाथ से मैला उठाने वालों की आय में वृद्धि हुई है।

- 98 प्रतिशत लाभार्थियों को ओटीसीए उनके बैंक खाते में और 2 प्रतिशत को नकद राशि मिली है।

- 20.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ओटीसीए राशि का उपयोग हाउस रेनोवेशन में किया है, इसके बाद चिकित्सा व्यय (18.1%) और घरेलू खपत (12.6%) पर उपयोग किया है। अन्य 12.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने अपनी आजीविका के लिए छोटे उद्यम स्थापित किए हैं। करीब 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि उन्होंने अपनी आजीविका के लिए गाय, बकरी, सूअर और भैंस जैसे मवेशी खरीदे हैं। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि उन्होंने ड्रेन वॉश टैंकर और स्वच्छता उपकरण आदि खरीदे हैं और अपने व्यवसाय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में पैसा कमा रहे हैं।

- चिन्हित हाथ से मैला उठाने वालों कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य उनके व्यवसाय की वर्तमान स्थिति के अनुसार हाथ से मैला उठाने की प्रथा में कार्यरत नहीं है।

- सभी 13 राज्यों में 2151 लाभार्थियों और उनके आश्रितों ने कौशल प्रशिक्षण के लिए नामांकन किया है। 35.7% उत्तरदाताओं ने कौशल प्रशिक्षण के लिए कौशल ट्रेड का चयन किया है, इसके बाद स्व-प्रेरणा (33.8%) और प्रशिक्षण संस्थानों (28.4%) का स्थान है। 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कौशल प्रशिक्षण के दौरान 3000/- रुपये प्रति माह वजीफा के रूप में मिला है।

- 24.4 प्रतिशत को प्रशिक्षण केंद्र के स्थान के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है, इसके बाद प्रलेखन प्रक्रिया का नाम आता है। कुल प्रशिक्षुओं में से 11.1 प्रतिशत ने बताया है कि उन्हें प्रशिक्षण संस्थान द्वारा रोजगार का प्रस्ताव दिया गया है।

- जिन प्रशिक्षुओं को कौशल प्रशिक्षण के बाद रोजगार का प्रस्ताव दिया गया है, वे अपने गृह नगर के नजदीक नौकरी में आ गए हैं अथवा स्व-नियोजित हैं। स्वरोजगार के मुख्य क्षेत्र सिलाई और सिलाई, ब्यूटी पार्लर, सब्जी विक्रेता, दुकानें, सुरक्षा गार्ड, प्लंबिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑटो-रिक्शा ड्राइविंग, सैनिटरी टैंक ऑपरेटर आदि हैं।

- लगभग 42 प्रतिशत 5000-10,000 रुपये प्रति माह कमा रहे हैं, जबकि 26.6 प्रतिशत 3000/- रुपये प्रति माह तक कमा रहे हैं।

- कौशल प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों का जीवन बदल गया है क्योंकि घरेलू आय में वृद्धि हुई है, आत्मविश्वास का स्तर बढ़ा है और समुदाय में सम्मान भी बढ़ा है।

- सभी 13 राज्यों में हाथ से मैला उठाने वाले चिन्हित व्यक्तियों में से 42 प्रतिशत बच्चे (6-15 वर्ष) स्कूल जा रहे हैं।

- स्कूलों में हाथ से मैला उठाने वाले चिन्हित व्यक्तियों के बच्चों के साथ भेदभाव के मामलों की सूचना मिली है।

- 7.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ऋण के लिए आवेदन किया है और उनमें से 72 प्रतिशत को ऋण मिला है।

- उत्तरदाता जो सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना स्वच्छता कार्यों में लगे हुए हैं, वे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। लगभग 12% उत्तरदाताओं ने बताया है कि वे कार्य स्थलों पर जाति आधारित भेदभाव का सामना करते हैं।

- 52% उत्तरदाताओं ने कहा है कि हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) कार्यक्रम अच्छा है, इसके बाद 44% ने औसत और 3.8% ने इसे खराब कहा है।

वर्ष 2019-20 में हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) पर मूल्यांकन अध्ययन

निष्कर्ष:

- ये टिप्पणियां हाथ से मैला उठाने वालों के सर्वेक्षण पर आधारित हैं, जिन्होंने चयनित राज्यों में एकमुश्त नकद सहायता (ओटीसीए) प्राप्त की है।

- इस योजना का हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान करने में राज्यों की भागीदारी के स्तर पर निर्भर करता है।

- पुरुषों की तुलना में महिलाओं की काफी भागीदारी पाई गई है। लगभग 74.7 प्रतिशत लाभार्थी 45 वर्ष से कम आयु के हैं, इसके बाद कुल नमूना लाभार्थियों में से 21.4 प्रतिशत ने अपनी आयु 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होने की सूचना दी है।

- लगभग 94 प्रतिशत लाभार्थियों को ओटीसीए मिल चुका है जबकि 6 प्रतिशत अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

- अधिकांश लाभार्थियों की पारिवारिक आय में वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि ओटीसीए ने उन्हें अधिक लाभकारी रोजगार अवसरों को अपनाने में सहायता की है।

- स्कूल जाने वाले सभी बच्चों ने सूचित किया है कि वे राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।

- 9.8 प्रतिशत लाभार्थियों ने ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने में रुचि दिखाई है। 73 प्रतिशत लाभार्थी ऋण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और 24 प्रतिशत ने व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण का उपयोग किया है।

- 90.2% ने ऋण प्राप्त करने में आत्मविश्वास की कमी, ब्याज (23.4%) और जागरूकता (13.2%) के लिए ऋण प्राप्त करने में रुचि नहीं दिखाई।

- हाथ से मैला उठाने वालों की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए, एनएसकेएफडीसी वर्ष 2018-19 से निःशुल्क चिकित्सा जांच के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर रहा है।

- अधिकांश लाभार्थियों ने वैकल्पिक नौकरी में स्विच करने में अपनी रुचि दिखाई है, लेकिन 19 प्रतिशत का मानना है कि उचित मशीन और उपकरणों के साथ स्वच्छता और सफाई से संबंधित कार्यों को करना वैकल्पिक व्यवसाय पर स्विच करने से आसान होगा। यह पाया गया है कि अधिकांश लाभार्थी अर्थात 64 एमएस अधिनियम 2013 से अवगत हैं।

- औसतन लगभग 18.27 प्रतिशत लाभार्थियों ने बीमा सुविधाओं का लाभ उठाया है।

*****